C I N: U02001 M P 1975 SGC 001341

Please visit our Website: www.mpsfdc.com

Phone -: RGM JABALPUR - 0761- 4017345, RGM BHOPAL- 0755 - 2674298

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लि., भोपाल

विज्ञापन क्र. 2025/130 अनुमानित वनोपज मात्रा नीलाम - अप्रैल - 2025

(नीलाम प्रातः 9 बजे से सूर्यास्त तक, आवश्यकतानुसार अगले दिन भी)

परियोजना मण्डल दूरभाष क्रमांक	डिपो	दिनांक	वनोपज का प्रकार	सागौन		अन्य		जलाऊ चट्टे नग	व्यापारिक बांस नग	औद्योगिक बांस नो.टन
				लट्ठा घ.मी.	बल्ली/ डेंगरी नग	लट्ठा घ.मी.	बल्ली/ डेंगरी नग			
खंडवा-खंडवा 0733-2225025	नर्मदानगर	12-04-2025	नया	600.000	40000	0.000	0	621	830	3.478
			पुराना	1309.583	26027	0.000	0	0	0	0
उमरिया-उमरिया 07653-222218	उमरिया	12-04-2025 (नीलाम स्थल उमरिया)	नया	500.000	23000	750.000	12000	1000	0	0
			पुराना	847.000	26039	646.000	3785	619	0	0
रीवा-सीधी 07822-252300	टिकरी		नया	0.000	0	0.000	0	0	0	0
			पुराना	0.000	0	0.000	0	98	0	0
कुण्डम-जबलपुर 0761-2420362	गोसलपुर	18-04-2025	नया	150.000	17000	50.000	400	300	0	0
			पुराना	1220.968	61096	64.783	0	202	0	0
मोहगांव-मण्डला 07642-251287	पाण्डीवारा	19-04 -2025 (नीलाम स्थल पाण्डीवारा)	नया	100.000	10000	150.000	10000	250	0	300
			पुराना	392.000	40121	65.000	294	516	0	0
	देवरीदादर		नया	526.000	10500	85.000	800	270	3100	120
			पुराना	646.000	47243	170.000	584	0	0	0
लामटा-बालाघाट 07632-240773	कनकी	21-04-2025 (नीलाम स्थल कनकी)	नया	50.000	15000	250.000	7000	900	50000	0
			पुराना	328.019	66218	456.144	2114	573	0	0
	पाद्रीगंज		नया	200.000	15000	150.000	10000	200	50000	0
			पुराना	377.781	12871	128.482	132	68	0	0
बरघाट-सिवनी 07692-220240	बेहरई	22-04-2025	नया	928.192	45890	335.821	9873	400	0	0
			पुराना	2334.459	134534	618.132	14314	810	4540	0
छिंदवाडा-छिंदवाडा 07162-243271	सतनूर	23-04-2025	नया	10.000	100	10.000	70	10	14900	0
			पुराना	129.009	23418	21.287	248	104	0	0
रामपुर-भतौड़ी,बैतूल 07141-238417	भौंरा	24-04-2025	नया	99.604	2104	178.147	738	310	0	0
			पुराना	316.954	25368	61.369	213	0.000	0	0
विदिशा-रायसेन, भोपाल 0755-2481315	ढकना चपना (सांची)	28-04-2025	नया	1080.000	73500	0.000	0.000	616	0	0
			पुराना	515.050	65467	0.000	0.000	817	0	0
सीहोर-सीहोर 07562-226345	लाडकुई	29-04-2025	नया	29.233	35000	0.000	0	300	0	0
			पुराना	467.681	126530	0.000	0	353	0	0

नोटः-(1).नीलाम की कार्यवाही संबंधित जिलाधिकारी के संज्ञान में, व उनकी सहमति से ही की जाएगी। इस संबंध में संबंधित संभागीय प्रबंधक कार्यालय नीलाम की पूर्व सूचना जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करें। क्रेतागण नीलाम दिनांक से पूर्व संबंधित संभागीय प्रबंधक कार्यालय से संपर्क कर नीलाम होना सुनिश्चित कर लें। (2). शर्तें/अन्य विवरण संबंधित मंडल कार्यालय से कार्यालयीन समय में या उक्त वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है। (3).खण्डवा के नर्मदानगर डिपो के नीलाम में जलाऊ चट्टे अस्थाई डिपो लोहारदा में रखे है। (4). लामटा के कनकी डिपो के नीलाम में रखे गये इमारती काष्ठ के नये/पुराने लॉट कनकी एवं पाद्रीगंज डिपो में तथा नये व्यापारिक बांस पाद्रीगंज में एवं कंजई डिपो में तथा नये जलाऊ चटटे पाद्रीगंज, तिरोडी, कंजई, उकवा व बारिया डिपो में रखे हुए है। (5). कुण्डम परियोजना मण्डल द्वारा वन अपराध में जब्त किये गये अंतिम रूप से राजसात वाहन (संलग्न सूची अनुसार) खुली नीलामी द्वारा विक्रय किये जायेगें।(6). बरघाट के बेहरई डिपो के प्रस्तावित नीलाम में जलाऊ चटटे बेहरई एवं उगली डम्प डिपो तथा व्यापारिक बांस बेहरई डिपो में रखे है। (7) इमारती काष्ठ के नीलाम के बाद, भोजनावकाश के पूर्व समय बचता है, तब जलाऊ का नीलाम किया जावेगा अन्यथा भोजनावकाश के तुरंत बाद पहले जलाऊ काष्ठ का नीलाम संपन्न किया जावेगा। तदौपरांत पुनः इमारती काष्ठ के शेष बचे लाटों का नीलाम किया जावेगा। (8).नीलाम प्रातः 9 बजे से सूर्यास्त तक किया जावेगा। आवश्यकता पड़ने पर एवं नीलाम पूर्ण न होने की स्थिति में, नीलाम दूसरे दिन भी जारी रखा जा सकेगा। (9). किसी भी प्रकार के प्रस्तावित संशोधन हेतु नीलाम दिनांक से पूर्व, वेबसाईट को अवश्य देख लेवें।

7/4/2025

प्रबंध संचालक

म0प्र0 राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

कार्यालय मण्डल प्रबंधक, कुण्डम परियोजना मण्डल

451, संजीवनी नगर, गढ़ा जबलपुर
Email :- dmkundam@rediffmail.com, 0761 - 2420362
CIN No. U02001MP1975SGC00134

MPRVVN LTD
VANBHAWAN C-BLOCK 1st FLOOR BHOPAL
19 MAR 2025
10471

क्रमांक / ववनि / 08 / नि.स. / 2025 / 5058 जबलपुर, दिनांक 05.03.2025

प्रति,
क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक,
म0प्र0 राज्य वन विकास निगम लि0,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय :- अंतिम रूप से राजसात वाहनों के निवर्तन हेतु आगामी नीलाम में रखे जाने हेतु प्रस्ताव बावत्।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2294 दिनांक 18.09.2024 एवं पत्र क्रमांक 3705 दिनांक 09.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है, कि कुण्डम परियोजना मण्डल, जबलपुर अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण में जप्त अंतिम रूप से राजसात वाहनों के निवर्तन हेतु वनोपज घोष विक्रय, नीलाम शर्ते एवं विज्ञापन प्रारूप सहित प्रस्ताव आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित करते हुए काष्ठागार गोसलपुर में आगामी नीलाम दिनांक 12.03.2025 में उक्त वाहनों के विक्रय हेतु विज्ञापन का प्रकाशन कराने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(राहुल मिश्रा)
संभागीय प्रबंधक
कुण्डम परियोजना मण्डल
जबलपुर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक / ववनि / 08 / नि.स. / 2025 / 5059 जबलपुर, दिनांक 05.03.2025

प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रबंध संचालक (विपणन) म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. राजस्व / स्टोर शाखा प्रभारी मण्डल कार्यालय जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि वाहन नीलाम से संबंधित समस्त कार्यवाही पूर्ण करावें।

संभागीय प्रबंधक
कुण्डम परियोजना मण्डल
जबलपुर (म.प्र.)

आपके क्रमांक
दिनांक
AMD
AMD (PF)
AMD (F&A)
AMD (Adm.)
AMD (Mkt.)
AMD (V & C)
GM (E&C)
CS

Mkt

Ae

Amarjeet @ C:\Users\lenovo\Downloads\Proceeding Forfeited (Raisen) Upset Prise.doc

निगम द्वारा अपलेखित एवं वन अपराध में जप्त अंतिम रूप से राजसात वाहनों के घोष विक्रय की सूचना।

म0 प्र0 राज्य वन विकास निगम के कुण्डम परियोजना मण्डल, जबलपुर में अंतिम रूप से राजसात वाहन का वनोपज घोष विक्रय खुली नीलामी के साथ विक्रय किया जाता है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, जबलपुर से संबंधित जानकारी

क्र.	शासकीय/राजसात	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	मॉडल	स्थान	अपसेट प्राईज
1	राजसात	बुलोरो पिकअप	**MP21G0572**	2009	बेलकुण्ड रोपणी परियोजना परिक्षेत्र रामपुर	124500/-

संभागीय प्रबंधक
कुण्डम परियोजना मण्डल
जबलपुर

MPRVVN

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड जिला जबलपुर (म.प्र.)
कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर

Phone/Fax – 0761-2420362

Email:-dmkundam@rediffmail.com

वन अपराध प्रकरणों में अंतिम रूप से राजसात वाहनो के नीलाम की शर्तें

1. वाहनों का नीलाम काष्ठ नीलाम दिनांक 12.03.2025 को ही कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर के काष्ठागार में वनोपज के नीलाम के साथ किया जावेगा।
2. वाहन जहां है जिस स्थिति में है, नीलाम किया जावेगा। क्रेता नीलाम में वाहन क्रय करने के पूर्व वाहन का भलीभांति निरीक्षण कर लेवें।
3. वाहन के जो अभिलेख उपलब्ध है, वही प्रदाय किये जावेंगें।
4. वाहन की विक्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर सम्बंधित मण्डल कार्यालय में वाहन की शेष राशि सम्पूर्ण करों सहित जमा करने पर ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। निर्धारित समय में सम्पूर्ण राशि जमा न करने पर सत्यंकार राशि सम्पृहत की जावेगी।
5. क्रेता द्वारा क्रय किए गये वाहन के सम्बंध में रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर यह लिखित वचन पत्र देना होगा कि क्रय किया गया वाहन क्रेता द्वारा परिवहन में उपयोग किया जावेगा या कबाड़ (Scrape) में उपयोग किया जावेगा। यदि क्रेता द्वारा वाहन परिवहन में उपयोग करने का लेख किया जाता है, तो क्रेता को वाहन का स्वामित्व आपने नाम पर नामान्तरण कराना आवश्यक होगा। इस पर आने वाले समस्त व्यय क्रेता द्वारा स्वयं वहन किये जावेंगें। वाहन का प्रदाय नामान्तरण के उपरान्त ही किया जावेगा। क्रेता द्वारा वाहन का उपयोग नहीं करने तथा उसे स्क्रेप में उपयोग किये जाने का प्रमाण पत्र (Non Judicial) गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर प्राप्त करने के उपरांत ही वाहन का आधिपत्य क्रेता को सौंपा जावेगा।
6. वाहन का विक्रय मुख्यालय द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत किया जावेगा।
7. क्रेतागण वाहन की स्थिति से अवगत होने के पश्चात ही बोली लगावें। वाहन विक्रय के पश्चात वाहन सम्बंधी किसी भी आपत्ति के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
8. प्रत्येक वाहन के लिए बोली लगाने के पूर्व सत्यंकार राशि रू. 10000/– नगद अथवा प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, के नाम पर देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी।
9. वाहन विक्रय उपरान्त यदि क्रेता द्वारा क्रय किये गये समस्त वाहनों का कर सहित मूल्य रू. 10000/– से कम होता है तो वाहन का मूल्य एवं देय करों को जोड़ते हुए शेष राशि वापस कर दी जावेगी।
10. यदि क्रय किये गये वाहनों के मूल्य की 10 प्रतिशत राशि रू. 10000/– से अधिक होती है तो क्रेता को नीलाम स्थल पर ही नीलाम के दौरान ही विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्ण करने हेतु शेष राशि भी आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। अन्यथा पूर्व की जमा राशि निगम हित में सम्पृहत कर ली जावेगीं।
11. असफल बोली लगाने वालों के मामले में सत्यंकार की राशि नीलाम समाप्त होने पर उन्हें वापस लौटा दी जावेंगी। सफल बोली लगाने वालों के मामले में यह राशि वाहन के मूल्य के विरूद्ध समायोजित की जावेंगी।
12. वाहन का निरीक्षण जहां वाहन खड़ा है, कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।
13. नीलामी के दौरान किसी बोली के सम्बंध में विवाद होने पर नीलामकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
14. फर्म की ओर से बोली लगाने वाले व्यक्ति को फर्म का पंजीयन प्रमाण–पत्र, भागीदारी पत्र एवं मुख्तियारनामा प्रस्तुत करना होगा।

बोलीदार के हस्ताक्षर

संभागीय प्रबंधक
कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर

Amrai @ C:\Users\lenovo\Downloads\Proceeds ... Forfeited (Rasu) Upset Prise.doc

कार्यालय संभागीय प्रबंधक कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड जिला– जबलपुर (म.प्र.)

Phone/Fax – 0761-2420362 Email:-dmkundam@rediffmail.com

खुली नीलामी द्वारा वाहन विक्रय सूचना

कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर अन्तर्गत काष्ठागार गोसलपुर में निम्नलिखित वाहन ''जहां है जिस स्थिति में है'' के आधार पर दिनांक 12.03.2025 को वनोपज नीलाम के उपरांत खुली नीलामी से विक्रय किया जावेगा।

क्र.	पंजीयन क्रमांक	मॉडल	वाहन का प्रकार	वर्ष	चेचिस नं.	इंजन नं.
1	MP21G0572	बुलेरो पिकअप	बुलेरो पिकअप	2009	94G45607	GG91G58912

1. इच्छुक क्रेता वाहन सम्बंधी सम्पूर्ण जानकारी विभागीय वेबसाईट www.mpsfdc.com पर प्राप्त कर सकते है।
2. उक्त वाहन बेलकुण्ड रोपणी, तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी में रखा है।
3. उक्त वाहन ''जहां है जिस स्थिति में है'' के आधार पर विक्रय किया जावेगा।
4. वाहन सम्बंधी अधिक जानकारी हेतु रोपणी प्रभारी श्री शैलेन्द्र सिंह परते,से (7049983130) सम्पर्क किया जा सकता है।

संभागीय प्रबंधक
कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर

निगम के अ लेखित एवं वन अपराध में जप्त अंतिम रूप से राजसात वाहनों के घो विक्रय की सूचना।

म0प्र0 र ज्य वन विकास निगम के कुण्डम परियोजना मण्डल, जबलपुर में अंतिम रूप से जसात वाहन का वनोपज घोष विक्रय खुली नीलामी के साथ विक्रय किया जाना है। वेवरण निम्नानुसार है :-

क्षेत्रीय मुख्य म प्रबंधक, जबलपुर से संबंधित जानकारी

क्र.	शासकीय/रा सात	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	मॉडल	स्थान	अपसेट प्राईज
1	राजसात	मोटर साईकिल	**MP49MD5401**	2012	काष्ठागार गोसलपुर	12000/-

संभागीय प्रबंधक
कुण्डम परियोजना मण्डल
जबलपुर

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड जिला जबलपुर (म.प्र.)
कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर
Phone/Fax – 0761-2420362 Email:-dmkundam@rediffmail.com

वन अपराध प्रकरणों में अंतिम रूप से राजसात वाहनो के नीलाम की शर्ते

1. वाहनों का नीलाम काष्ठ नीलाम दिनांक 12.03.2025 को ही कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर के काष्ठागार में वनोपज के नीलाम के साथ किया जावेगा।
2. वाहन जहां है जिस स्थिति में है, नीलाम किया जावेगा। क्रेता नीलाम में वाहन क्रय करने के पूर्व वाहन का भलीभांति निरीक्षण कर लेवें।
3. वाहन के जो अभिलेख उपलब्ध है, वही प्रदाय किये जावेंगें।
4. वाहन की विक्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर सम्बंधित मण्डल कार्यालय में वाहन की शेष राशि सम्पूर्ण करों सहित जमा करने पर ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। निर्धारित समय में सम्पूर्ण राशि जमा न करने पर सत्यंकार राशि सम्पृहत की जावेगी।
5. क्रेता द्वारा क्रय किए गये वाहन के सम्बंध में रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर यह लिखित वचन पत्र देना होगा कि क्रय किया गया वाहन क्रेता द्वारा परिवहन में उपयोग किया जावेगा या कबाड़ (Scrape) में उपयोग किया जावेगा। यदि क्रेता द्वारा वाहन परिवहन में उपयोग करने का लेख किया जाता है, तो क्रेता को वाहन का स्वामित्व आपने नाम पर नामान्तरण कराना आवश्यक होगा। इस पर आने वाले समस्त व्यय क्रेता द्वारा स्वंय वहन किये जावेंगें। वाहन का प्रदाय नामान्तरण के उपरान्त ही किया जावेगा। क्रेता द्वारा वाहन का उपयोग नहीं करने तथा उसे स्क्रेप में उपयोग किये जाने का प्रमाण पत्र (Non Judicial) गैर न्यायायिक स्टाम्प पेपर प्राप्त करने के उपरांत ही वाहन का अधिपत्य क्रेता को सौंपा जावेगा।
6. वाहन का विक्रय मुख्यालय द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत किया जावेगा।
7. क्रेतागण वाहन की स्थिति से अवगत होने के पश्चात ही बोली लगावें। वाहन विक्रय के पश्चात वाहन सम्बंधी किसी भी आपत्ति के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
8. प्रत्येक वाहन के लिए बोली लगाने के पूर्व सत्यंकार राशि रू. 10000/– नगद अथवा प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, के नाम पर देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी।
9. वाहन विक्रय उपरान्त यदि क्रेता द्वारा क्रय किये गये समस्त वाहनों का कर सहित मूल्य रू. 10000/– से कम होता है तो वाहन का मूल्य एवं देय करों को जोड़ते हुए शेष राशि वापस कर दी जावेगी।
10. यदि क्रय किये गये वाहनो के मूल्य की 10 प्रतिशत राशि रू. 10000/– से अधिक होती है तो क्रेता को नीलाम स्थल पर ही नीलाम के दौरान ही विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्ण करने हेतु शेष राशि भी आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। अन्यथा पूर्व की जमा राशि निगम हित में सम्पृहत कर ली जावेगीं।
11. असफल बोली लगाने वालो के मामले में सत्यंकार की राशि नीलाम समाप्त होने पर उन्हें वापस लौटा दी जावेंगी। सफल बोली लगाने वालो के मामले में यह राशि वाहन के मूल्य के विरूद्ध समायोजित की जावेंगी।
12. वाहन का निरीक्षण जहां वाहन खड़ा है, कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।
13. नीलामी के दौरान किसी बोली के सम्बंध में विवाद होने पर नीलामकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
14. फर्म की ओर से बोली लगाने वाले व्यक्ति को फर्म का पंजीयन प्रमाण–पत्र, भागीदारी पत्र एवं मुख्तियारनामा प्रस्तुत करना होगा।

बोलीदार के हस्ताक्षर

संभागीय प्रबंधक
कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर

कार्यालय संभागीय प्रबंधक कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड जिला– जबलपुर (म.प्र.)

Phone/Fax – 0761-2420362 Email:-dmkundam@rediffmail.com

खुली नीलामी द्वारा वाहन विक्रय सूचना

कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर अन्तर्गत काष्ठागार गोसलपुर में निम्नलिखित वाहन "जहां है जिस स्थिति में है" के आधार पर दिनांक 12.03.2025 को वनोपज नीलाम के उपरांत खुली नीलामी से विक्रय किया जावेगा।

क्र.	पंजीयन क्रमांक	मॉडल	वाहन का प्रकार	वर्ष	चेचिस नं.	इंजन नं.
1	MP49MD5401	हीरो होण्डा सुपर स्पलेन्डर	मोटर साईकिल	2012	MBLJA05EGB9L08475	JA05E[illegible]B9L0838[illegible]

5. इच्छुक क्रेता वाहन सम्बंधी सम्पूर्ण जानकारी विभागीय वेबसाईट www.mpsfdc.com पर प्राप्त कर सकते है।
6. उक्त वाहन गोसलपुर काष्ठागार में रखा है।
7. उक्त वाहन **"जहां है जिस स्थिति में है"** के आधार पर विक्रय किया जावेगा।
8. वाहन सम्बंधी अधिक जानकारी हेतु काष्ठागार प्रभारी श्री रमेश कुमार इवनाती, से (9753305640) सम्पर्क किया जा सकता है।

संभागीय प्रबंधक
कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर

Amrai @ C:\Users\lenovo\Downloads\Proceeding Forfeited (Raisal) Upset Price.doc